न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 93/2019 G.C.M.S. No. 2019/00409 दर्ज दिनांक : 04.12.2019

अपीलार्थी:

भवानीसिंह पुत्र अमरसिंहजी जाति राजपूत, उम्र 53 वर्ष, निवासी मेवीकलां, तहसील देसूरी, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सवाई पुत्र नारसिंहजी,
2. डूंगरसिंह पुत्र नारसिंहजी,
3. जबरसिंह पुत्र नारसिंहजी
   समस्त जातिगण राजपूत, निवासीगण भाणका, तहसील देसूरी, जिला पाली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी देसूरी।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 49/2018 बअनवान भवानीसिंह बनाम सवाईसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019

पैरोकार:–

1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री महेन्द्र ओझा, श्री लालाराम शर्मा विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री मो. शरीफ काजी, श्री सदाम काजी विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 15.10.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 49/2018 बअनवान भवानीसिंह बनाम सवाईसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एक दावा प्रस्तुत किया व उसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा गांव भाणका पटवार क्षेत्र मगरतलाम तहसील देसुरी में स्थित आराजीयात खसरा नंबर 257 रकबा 1.6700 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम अपीलांट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की कब्जा एवं काश्तशुदा कृषि भूमि है। जिसमें अपीलांट का कब्जा काश्तशुदा 1/4 व तथा शेष

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 का कब्जा एवं काश्त है। किन्तु कानूनन बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नही होने से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 उनके हिस्से से ज्यादा भूमि पर काश्त करने पर आमादा है व विशेष भू-भाग की जमीन पर काश्त करने पर आमादा है। जिससे अपीलाण्ट काश्त से वंचित रह जायेगा एवं अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे रेस्पोडेंट को मूल वाद से निर्णय तक उनके खातेदारी के बंट से अधिक भूमि पर किसी प्रकार से काश्त में दखल करने, जमीन को खुर्द बुर्द करने एवं भू-भाग की जमीन पर काश्त करने से एवं अपीलाट के बंट की आराजीयात में अपीलाट के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने से रोका जाने के लिए मूल वाद के निर्णय तक मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करावें। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट बावजुद तामिल हाजिर नहीं हुए व अपीलाट की बहस सुनकर जो आदेश पारित किया है, वो कानून व रेकर्ड के विरूद्ध है क्योकि स्वयं विचारण न्यायालय यह स्वीकार करती है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी में खातेदार है व काश्त करते है। जबकि अपीलांट द्वारा उपरोक्त भूमि के संबंध में अपीलांट के हिस्से की भूमि में दखलंदाजी नहीं करने के संबंध में स्थगन का कहा था व भूमि का बिना बंटवाडा बेचाण नही करने के संबंध में व कब्जा काश्त अपीलांट द्वारा किया जा रहा उसके हिस्से में दखलंदाजी रोकने की ईस्तदुआ चाही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने सह खातेदार अपीलांट को माना है तो भी यह लिख दिया कि प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में नहीं है। व सहूलियत का पलका व अपूणीर्य क्षति का बिन्दू भी अपीलाट के विरुद्ध तय किया। यह स्वीकृत तथ्य था कि पक्षकारान की खातेदारी की भूमि थी। जिसमे अपने अपने हिस्से पर पक्षकार काबिज है व भूमि तरमीम सुदा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाट के कब्जे एवं तरमीम बगैर बेचे जाने के संबंध में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिया जाना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है व अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हमने पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट प्रार्थी ने रेस्पोडेण्ट्स अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के बंटवाड़ा करवाने हेतु एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया एवं साथ ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिनांक 11.10.2019 को अपीलाधीन आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की।
2. अपीलाधीन आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरणों के आवश्यक तीनों बिंदुओं का विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश में प्रक्रियात्मक रूप से किसी प्रकार की त्रुटि स्पष्ट नहीं होती हैं।
3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात उभयपक्षकारान की अविभाजित सहखातेदारान कृषि भूमि है। वादी अपीलाण्ट द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजीयात में उसका 1/4 हिस्सा तथा शेष 3/4 रेस्पोडेण्ट्स का है तथा इसी अनुरूप काबिज काश्त है। उभयपक्षकारान् के मध्य वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाड़ा बाबत् वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है।
4. हमारे विन्रम मत में चूंकि उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजीयात के अभिलिखित सहखातेदार है। अतः किसी भी एक सहखातेदार के पक्ष में दीगर सहखातेदार के विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन साबित होना नहीं माना जा सकता जबकि अपीलाण्ट वादी 1/4 हिस्सा का सहखातेदार है। यदि सहखातेदारी आराजी में किसी एक सहखातेदार के निवेदन पर दीगर सहखातेदारान् को अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाता है तो इससे ऐसे सहखातेदारान् को काश्तकार के प्राथमिक अधिकार के उपभोग से वंचित करना होगा। जो विधि सम्मत नहीं होगा।
5. अतः हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि या विधिअसंगतता कारित नहीं की हैं तथा अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता व आधार नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट्स अपील को बखूबी साबित करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना, पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 49/2018 बअनवान भवानीसिंह बनाम सवाईसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 11.10.2019 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner